

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 19-05-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिला के चाण्डिल में अर्धनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल भवन को पुनर्विकसित करने की योजना में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 2,39,30,715/- (दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार सात सौ पंद्रह) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-170(5)ब०यो०, दिनांक-24.02.2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिला के चाण्डिल में अर्धनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल भवन को पुनर्विकसित करने की योजना में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 2,39,30,715/- (दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार सात सौ पंद्रह) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-170(5)ब०यो०, दिनांक-24.02.2023 द्वारा सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत चाण्डिल में अर्धनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल भवन को पुनर्विकसित करने के निमित्त कुल 17,51,56,700/- रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके विरुद्ध कुल 15,75,04,778/- रुपये की लागत पर एकरारनामा किया गया था। योजना में कुल 17,51,56,700/- रुपये आवंटित है।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-656(नि) दिनांक-12.03.2026 द्वारा उक्त योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 17,51,56,700/- रुपये के विरुद्ध कुल लागत राशि 19,90,87,415/- रुपये प्रतिवेदित करते हुए अतिरिक्त दायित्व की राशि की मांग की गई है। प्रशासनिक स्वीकृति से उक्त वृद्धि की राशि कुल 2,39,30,715/- (दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार सात सौ पंद्रह) रुपये है, जिसका प्रतिशत 13.66 है।

4. योजना का निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूर्ण है।

5. योजना में वृद्धि के संबंध में निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण, कार्य कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कराया गया है। इस हेतु कई एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही, कुछ नये कार्य मदों का कार्यान्वयन भी आवश्यकतानुसार कराया गया है। वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप विभिन्न कार्यमदों में वृद्धि/कमी इत्यादि के आलोक में विचलन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

6. योजना में विचलन का मुख्य कारण निम्नानुसार है:-

(i) अस्पताल भवन पुराने होने के कारण Brick work, lintel band, tiles को हटाने की आवश्यकता थी जिसका प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था।

(ii) STP के कार्य में Ordinary hard rock मिलने के कारण मदों में वृद्धि हुई।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

- (iii) पुराने भवन का Outer plaster जर्जर था जिसे तोड़कर नया Plaster करना पड़ा। एकरारनामा में Outer plaster की मद कम थी।
- (iv) पुराने भवन के छत में Seepage था जिस कारण पुरे छत में Water Proofing का कार्य कराना पड़ा, परन्तु एकरारनामा में Quantity कम था।
- (v) Residencial Quarters के उपलब्ध भूमि में Undulations होने के कारण Brick work in foundation कार्य के मदों में वृद्धि हुई।
- (vi) अस्पताल भवन के Ceiling height कम होने के कारण Wall Fan की आवश्यकता पड़ी तथा DG Set CP-CB-2 के स्थान पर वर्तमान में बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण DG Set CB-4 लगवाना पड़ा।
- (vii) अस्पताल भवन के Ceiling height कम होने के कारण Wall Fan की आवश्यकता पड़ी तथा DG Set CP-CB-2 के स्थान पर वर्तमान में बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण DG Set CB-4 लगवाना पड़ा।

7. तैयार विचलन प्रतिवेदन पर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा मुख्यालय में इस कार्य हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक-09.03.2026 को सम्पन्न बैठक में जॉचोपरान्त इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. योजना में दायित्व राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. उक्त योजना में वृद्धि की राशि 20% के अधीन है। अतएव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०-1269 दिनांक-21.09.2023 की कंडिका-4 के अनुसार में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 2,39,30,715/- (दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार सात सौ पंद्रह) रुपये की वृद्धि के कारण व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

10. योजना हेतु व्यय का विकलन राज्य स्कीम बजट शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45 निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210-01-110-48-01-05-45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

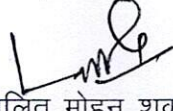
11. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियाँ में करेंगे।

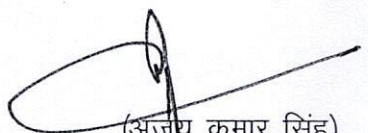
12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
13(5) यो०
19-05-2026

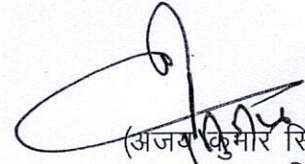

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

15. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आस्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-170(5)ब०यो०, दिनांक-24.02.2023 की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

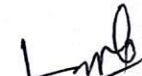
ज्ञापांक: - 5/पी०-12/2010-13(5) योजना

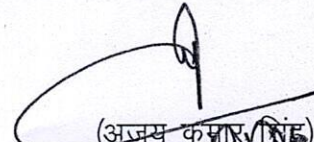
राँची, दिनांक: 19-05-2026

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. उपायुक्त, राँची/सरायकेला-खरसावाँ।
4. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
5. सिविल सर्जन, राँची/सरायकेला-खरसावाँ।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

13(5) यो०
19-05-2026